

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलारा (नागौर)

राजस्थान सरकार,
जरिये पटवार हल्का

भकरी

वहक

श्रीमती - अंवर सुंदर
पति श्री श्रीलक्ष्मण शील भकरी
जाति राजपूत
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

मुकदमा नं. 20 / 2018

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम शील भकरी खसरा नम्बर 344
रकबा 2.03 हैक्टर किरम अ. प्र. 7 में श्रीमती अंवर सुंदर
अंवर सुंदर (राजकीय भूमि) पर संवत् 2075 में श्रीमती अंवर सुंदर
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा अंवर सुंदर जाति राजपूत निवासी शील भकरी जिसे
अर्न्तगत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिस जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी का नोटिस पुर से नाफिल होकर पापू

हसा. अपार्थी बापू नोटिस से कानुनपरिहार
दे, एकरफा सी जाली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम
ख.न. रकबा किरम पर संवत् 2074 में विना विधिक
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्ज वहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 62.50 का 50 गुणा रूपया 729 (रूपये सात सौ ठन्नीस रुपये मात्र) शास्ति कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी निर्णय की
एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।
बागौर भु. अभिलेख निरीक्षक

पत्रावली निर्णित शुगार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलासा सुनाया।

अंवर

नायब तहसीलदार भकरी मौलारा (नागौर)

राज. भू. राजस्व अधिनियम 2018-17 के धारा 91
पत्रावली नं. 729 का 50 गुणा रूपया 729 का
वहक

नायब तहसीलदार भकरी मौलारा